जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 28.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा दो पक्षों में मारपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5263 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत बाकरगंज से इवेंट सं0 **46960** द्वारा कालर ने दो पक्षो में किसी विवाद को लेकर मारपीट के कारण घायल 05 व्यक्तियों (1. सुशीला पत्नी राजू 2. राजू पुत्र लालजी 3. निशा पुत्री राजू 4. वासुकी पत्नी सहदेव 5. सुधा पत्नी परमात्मा ग्राम बाकरगंज थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 आदर्श गिरी, हो0चा0 रिजवान अहमद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 144 वाहनों से 1,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 144 वाहनों से 1,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 435/2024 धारा 85, 80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रामसुमेर यादव पुत्र स्व0 राजाराम 2. बिन्दलावती देवी पत्नी रामसुमेर यादव निवासीगण ग्राम भरवलिया बूधन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 28.11.2024 को दसवां गांव तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 26.11.2024 को वादी श्री मुकेश यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी आँटाकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर तहरीर दिया गया कि मेरी बहन से उसके पति विजय यादव, ससुर राम सुमेर यादव और उसकी सास बिन्दलावती देवी दहेज की मांग करते थे, दहेज न देने पर बहन को प्रताड़ित करते थे, दिनांक 26.11.2024 को मेरी बहन के पति

विजय यादव व उसके सास, ससुर मिलकर मेरी बहन की हत्या कर दिये हैं, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 28.11.2024 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 नाजीर हुसैन, म0का0 सुमन कुमारी ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा गोवध के मामले से सम्बन्धित फरार 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया पोस्टर

थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश 1955 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 1959 में वांछित अभियुक्त एजाज उर्फ भोलू पुत्र हकीकुल्लाह निवासी मुड़ाडीहा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर अभी तक पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, पुलिस द्वारा अभियुक्त एजाज उर्फ भोलू उपरोक्त के घर पर दबिश दी गयी तो वहाँ से फरार मिला, पुलिस की गिरफ्तारी से लगातार बच रहा है तथा अभी तक माननीय न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुआ हैं।

आज दिनांक 28.11.2024 को ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** अभियुक्त एजाज उर्फ भोलू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना दुधारा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर **"अभियुक्त के दिखाई देने पर पुलिस को अवगत कराने"** सम्बन्धित पोस्टर चस्पा किया गया। यह कार्यवाही 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश 1955 के सन् 2020 के हुए संसोधन के अन्तर्गत धारा 8(3) के तहत की जा रही है। आम जनमानस से अपील की जाती है कि इस अभियुक्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जनपदीय पुलिस को सूचित करने का कष्ट करें।